



राजस्थान - सरकार  
शिक्षा - विभाग

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान  
वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>  
ई.मेल-[hrd.cce@gmail.com](mailto:hrd.cce@gmail.com) फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक:एफ.1(371)स्था/निकाशि/2002/1379

दिनांक: 02 नवम्बर, 2021


### आदेश

माह अगस्त-सितम्बर 2021 में निम्न सह/सहायक आचार्यों एवं व्याख्याताओं के स्थानान्तरण वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के अनुसार राजमेस सोसायटी आधारित स्वीकृत पदों पर किये गये थे, का वेतन उनके सम्मुख सारणी में कॉलम संख्या 06 में अंकित राजकीय महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम सह/सहा आचार्य (डॉ. /श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय		वेतन जहाँ से आहरित किया जाना है
			कहाँ से	कहाँ पर	
1	ललिता शर्मा	अंग्रेजी	सांभरलेक	कंवर नगर	केकडी
2	पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत	भूगोल	बीकानेर	भणियाना, जैसलमेर	जैसलमेर
3	अजीत सिंह चौधरी	इतिहास	सीकर कन्या	कंवरनगर ब्रहमपुरी	नीमकाथाना
4	चंद्रशेखर कच्छावा	इतिहास	छतरगढ़	डूंगरगढ़ कन्या	डूंगरगढ़
5	प्रभु दयाल जांगीड	राजनीति विज्ञान	कालाडेर	गडरा रोड	बाडमेर
6	झब्बूराम वर्मा	समाज शास्त्र	बांदीकुई	बसवा	एम.एस.जे.भरतपुर
7	इन्दू आर्य	समाज शास्त्र	झुंझुनू कन्या	जमवारामगढ़	भरतपुर कन्या
8	रामफूल जाट	समाज शास्त्र	दौसा	सरमथुरा (धौलपुर)	एम.एस.जे.भरतपुर
9	नरेश कुमार अग्रवाल (RVRES)	एबीएसटी	चौमू कन्या	कोलायत	नीमकाथाना
10	बीना शर्मा (RVRES)	ए.बी.एस.टी.	कालाडेर	दूदू	नीमकाथाना
11	रमेश चन्द मीणा	रसायन शास्त्र	सवाईमाधोनुर	बाडी	एम.एस.जे.भरतपुर
12	गंगा सहाय मीणा	रसायन शास्त्र	सवाईमाधोपुर	भीम	एम.एस.जे.भरतपुर

1. उक्त आदेश सह/सहायक आचार्य/व्याख्याता के स्थानान्तरित महाविद्यालय में कार्यग्रहण करने की स्थिति में ही लागू होगा।
2. यदि किसी सह/सहायक आचार्य एवं व्याख्याता का पूर्व में अन्यत्र से वेतन आहरित किया जा रहा है तो पूर्वानुसार ही वेतन आहरित होगा उक्त आदेश इन पर लागू नहीं होगा।
3. यदि वित्त विभाग से उक्त राजमेस में सुजित महाविद्यालय/पदों के सम्बन्ध में कोई भिन्न आदेश प्राप्त होते हैं तो नवीन महाविद्यालय/पदों के स्वीकृत बजट से उक्त वेतन का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(एन.एल.मीना)

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा विभाग  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 02 नवम्बर, 2021

क्रमांक:एफ.1(371)स्था/निकाशि/2002/1379

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय।
4. सम्बन्धित सह/सहायक आचार्य एवं व्याख्याता।
5. संस्थापन शाखा/लेखा शाखा।
6. वेबसाइट प्रभारी - उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

  
02/11/2021

(डॉ.आर.सी.मीना)  
संयुक्त निदेशक(HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर